(b) whether Government are aware of the fact that the enhancement of the export ceiling to 75 million kg will push up pirces further and also create scarcity of yarn in India;

(c) whether it is a fact that the policy that yarn exports would be permitted only against the import of cotton has not yet been properly implemented;

(d) whether Government are aware of the difficulties faced by the garment manufacturers as well as the handloom and hosiery industries owing to the sale of cotton yarn in the overseas market this year; and

(e) if so, what measures are proposed to be taken to mitigate their hardships?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) Increase in prices can not be attributed to exports only a small percentage of yarn production has been allowed for exports.

(c) The imports of cotton against exports of yarn have been allowed under the Advance Licencing Scheme.

(d) and (e) Do not arise in view of (b) above.

श्री निवासपुरी, दिल्ली में एक महिला की हत्या

3187. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनिवासपुरी, दिल्ली की 44 वर्षीय सरिता अग्रवाल की हाल में की गई नृशंस हत्या के संबंध में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अभी तक कोई भी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब नेशनल बैंक

3188. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटकपुर, बाग मोची, नानक पुरा, नई दिल्ली में बना पंजाब नेशनल बैंक की शाखा भूतपूर्व मैनेजर द्वारा किए गए घपले की निशानी है, यदि हां, तो क्या भूतपूर्व मैनेजर द्वारा प्लाट के कागजातों की जांच की गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या भूतपूर्व मैनेजर तथा प्लाट के मालिक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाणपत्र लिया था, यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जो शीघ्र ही सेवा से निवृत्त होने वाला था, यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है, और

(ग) बैंक द्वारा उक्त शाखा के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई और क्या बैंक द्वारा प्लाट का किराया दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा प्लाट के मालिक को दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसकी मोचीबाग, नानकपुरा, नई दिल्ली शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने, उस प्लाट के, जहां पर बैंक की शाखा स्थित है, हक-विलेखों का सत्यापन नहीं किया था/जांच नहीं की थी। यह काम मालिक को मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर करने से पूर्व किया जाना था। इस चूक के लिए, शाखा प्रबन्धक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

(ख) बैंक के अनुसार, उसके रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चल सके कि मकान मालिक ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया था, अथवा नहीं।